सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2018 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2018/00016

अनवान

1. श्री लोगर पिता वेला मीणा, निवासी ओडवाडिया, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

—प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, आदेश 32/2018 दिनांक 21.05.2018

* निर्णय *

दिनांक— 22-03-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 21.05.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओडवाडिया, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर के आराजी संख्या 2354 की भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के मध्य स्थित है। इस भूमि पर अपीलार्थी का उसके पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि पर अपीलार्थी का मकान बनाया हुआ है, जो वर्षो पुराना हो शेष भूमि पर बाडा बनाकर मवेशियों को बांधने के लिये उपयोग में लिया जा रहा है। अपीलार्थी को पटवारी हल्का द्वारा खातेदारी भूमि मे से कुछ हिस्सा बिलानाम होना बताया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी की भूमि में दखल अंदाजी करने की नियत से अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस दिलवाया तथा यह बताया कि उक्त भूमि को खातेदारी करवा देंगे, किन्तु दिनांक 21.05.2018 को बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया तथा बेदखली का आदेश पारित करने के पश्चात उसी तिथि को तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक को पत्र लिखकर प्रार्थी का अतिक्रमण हटाने व बेदखली की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। यदि मौके पर अपीलार्थी की बेदखली की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है तो अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के बीचो—बीच बिलानाम भूमि हो जाने से मकान व पूरी भूमि बर्बाद हो जायेगी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 07.05.2018 को अपीलार्थी की उपस्थिति होकर उसके द्वारा जवाब देना दर्शाया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया था, बल्कि जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया था। अपीलार्थी दिनांक 21.05.2018 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उसे बताया गया कि उसकी पेशी बाद में होगी, किन्तु

अपीलार्थी को उसका पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है, जो विधि विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जिस भूमि से अपीलार्थी को बदखल करने का आदेश दिया गया है वह भूमि अपीलार्थी के कब्जे में है। वर्तमान में भी 2008 तक के कब्जो के नियमन के आदेश राज्य सरकार द्वारा निकाला गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि नियमन किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर मौजा ओडवाडिया, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2354 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 32/2018 में दिनांक 21.05.2018 को पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण मे अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में अपीलार्थी को नोटिस दिया जाकर जवाब हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी द्वारा जवाब के साथ पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 32/2018 प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथित आराजी पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना, उक्त भूमि नियमन योग्य होना, जवाब हेतु पर्याप्त अवसर नही दिया जाना, उक्त आराजी खातेदारी भूमि के मध्य स्थित होना आदि आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को शून्य बताते हुए अपास्त किये जाने की मांग की। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि आराजी संख्या 2354 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म बिलानाम पर अपीलान्ट श्री लोगर द्वारा अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। अतिक्रमी द्वारा पुराना कब्जा होने के संबध में कोई भी साक्ष्य / सबूत प्रस्तुत न करने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम ओडवाडिया, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2354 किस्म बिलानाम में 0.05 हेक्टेयर पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विधिवत सुनवाई करते हुए एवं जवाब का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरण में

नियमानुसार कार्यवाही की है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर उनके पिता के समय से पुराना कब्जा चला आ रहा हो या भूमि नियमन योग्य हो, इसकी पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र खातेदारी भूमि के मध्य स्थित होने से बिलानाम राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कब्जे का प्रयत्न किया जाना अनुचित है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के नियमन हेतु कोई आवेदन किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही नियमानुसार पायी जाने से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 को यथावत रखा जाता है साथ ही तहसीलदार सलुम्बर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर